पत्रांक–13/स्था0–01–34/2024........506..../
05.02.2025

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनोज रमण,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

ईमेल

(1) सचिव,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना।
(2) अपर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
(3) विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
(4) विशेष सचिव,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
(5) विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
(6) सभी अभियंता प्रमुख,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
(7) अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
(8) अभियंता प्रमुख,
तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग, बिहार, पटना।
(9) सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।
(10) निदेशक,
वाल्मी/क्रय भंडार एवं सामग्री,
जल संसाधन विभाग, बिहार।
(11) निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार, पटना।
(12) उप निदेशक,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
(13) सभी अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।
(14) सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार।
(15) अवर सचिव,
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना।

विषय :–SLP (C) No.31133/2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.01.2025 को पारित न्यायादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समरूप वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :–विभागीय पत्र सं0–09/स्था0–01–21/2015–2471 दिनांक 02.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि वर्ष 2014 एवं 2015 में निर्गत विभिन्न विभागीय आदेशों के द्वारा जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (मूल कोटि) संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों को उनकी नियमित सेवा 20 वर्ष पूर्ण किये जाने के उपरान्त वेतन बैण्ड (पी0बी0–3)

रूपये 15600–39100 ग्रेड–पे0 रूपये 6600/– में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) कालान्तर में वित्त विभाग के पत्रांक–3655 दिनांक–10.04.2015 एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक–9/स्था0–01–21/2015–4447 दिनांक–06.12.2017 एवं आदेश ज्ञापांक–9/स्था0–01–21/2015–1757 दिनांक–17.04.2023 द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 के विभिन्न विभागीय आदेश से प्रदत्त ग्रेड–पे0 (पी0बी0–3) 6600/– को संशोधित करते हुए ग्रेड–पे0 (पी0बी0–3) 5400/– प्रदत्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक– 2471 दिनांक 02.07.2024 द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली के बिन्दु पर विधि सम्मत् निर्णय लेते हुए सभी संबंधित कार्यालयों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया।

(3) CWJC No.-20160/2021 श्याम बिहारी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–05.01.2022 को पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध वित्त विभाग, पटना द्वारा LPA No.-172/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक– 26.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अंतिम न्याय निर्णय दिया गया।

(4) LPA No.-172/2022 में दिनांक 26.09.2024 को पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध कतिपय वादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (C) No. 31133/2024 श्याम बिहारी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। SLP (C) No. 31133/2024 श्याम बिहारी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (LPA No.-172/2022 में दिनांक 26.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित अंतिम न्यायादेश से उदभुत) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.01.2025 को अंतरिम आदेश पारित हुआ, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

2. **Application seeking impleadment is rejected. It goes without saying that the applicant(s) who have filed the application seeking impleadment, may take recourse to any other remedy, as may be permissible under the law.**
3. **Issue notice, returnable after four weeks.**
4. **In the meantime, the operation and effect of the impugned judgment and order, is stayed till the next date of hearing.**

(5) इसी विषय से संबंधित अन्य वाद यथा CWJC No. -11591/2024 गिरिजा शंकर मौर्य एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.08.2024 तथा CWJC No. -15749/2024 विजय प्रताप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 08.10.2024 को पारित अंतरिम न्याय निर्णय के आलोक में अनुपालन से पूर्व विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना से मंतव्य/परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"Since under wrong notion PB-3-6600 pay scale has been granted in lieu of PB-3-5400 that led to excess payment, although was not entitled has to be recovered and for that matter Department of Water Resources vide letter No. 2471 dated 02.07.2024 has circulated to all concerned regarding excess payment and recovery thereof. Now the said letter has been challenged in C.W.J.C. No. 11591 of 2024, wherein recovery from the petitioner in terms of the said letter has been stayed and thus such interim order has to be respected and would be dependent upon the final outcome of the writ petition. As far as others are concerned with respect to whom recovery has not been stayed it would be desirable for the department to proceed further.

I opine accordingly."

(6) अतः वर्णित स्थिति में **SLP (C) No. 31133/2024** श्याम बिहारी शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **CWJC No.-11591/2024** गिरिजाशंकर मौर्य एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा **CWJC No. -15749/2024** विजय प्रताप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित अंतरिम न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए **विभागीय पत्र सं0– 2471 दिनांक 02.07.2024** को अगले आदेश तक **SLP (C) No. 31133/2024, CWJC No.-11591/2024** एवं **CWJC No.-15749/2024** के वादियों के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाता है।

उक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) No. 31133/2024 एवं अन्य संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

(7) इस पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

04/02/25

(मनोज रमण)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–13/स्था0–01–34/2024......506....../ पटना/दिनांक– 05.02.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक–3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना–15/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–13/स्था0–01–34/2024......506....../ पटना/दिनांक– 05.02.2025

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–13/स्था0–01–34/2024......506....../ पटना/दिनांक– 05.02.2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/सभी उपसचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/निदेशक/उप निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–13/स्था0–01–34/2024......506....../ पटना/दिनांक– 05.02.2025

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, अवर अभियंता संघ, बिहार, अमरनाथ पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–13/स्था0–01–34/2024......506....../ पटना/दिनांक– 05.02.2025

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर/आई0 टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना Common integrated Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/02/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।